न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (...
पीठासीन अधिकारी : सन्तोष कुमार गोयल (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : 67/2010

उनवानी प्रकरण मुकद्दमा : जगदीश प्रसाद पुत्र नथीलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 17 राजाखेड़ा जिला धौलपुर ---- वादी

बनाम

1- शोभाराम पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी बिचौला तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर
2- हरीओम } पुत्रगण नथीलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण वार्ड नं. 17
3- रामशंकर } राजाखेड़ा जिला धौलपुर
4- प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डिया शाखा राजाखेड़ा
5- तहसीलदार राजाखेड़ा बतौर लैण्ड होल्डर। ---- प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त मय स्थायी निषेधाज्ञा।

उपस्थिति :- 1- श्री विजयप्रकाश श्रीवास्तव वकील वादी
2 श्री विमल कुमार शर्मा वकील प्रतिवादी सं.

निर्णय दिनांक :- 5-12-2019

वादी द्वारा यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 54 एवं 188 आर.टी. एक्ट के तहत इस न्यायालय में इन तथ्यों के साथ पेश किया है कि विवादित आराजी ख.नं. 4857 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, 4859 रकबा 09 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा वाके कस्बा जरीब नं. 2 राजाखेड़ा में वादी 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त है। तथा ख.नं. 4858 रकबा 13 बिस्वा स्थित जरीब नं. 2 राजाखेड़ा में वादी 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त है। उक्त आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आज तक कोई बटवारा नहीं हुआ है। मौके पर संयुक्त

क्रमशः---

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

पेज 2

रूप से काबिज काश्त है। दावा दायरी से करीब 8-10 वर्ष पूर्व वादी आराजीयात की देखभाल कर रहा था तब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मौके पर आकर कहा कि सारे नम्बरो को हम ही जोतेंगे तुम्हे काश्त नही करने देंगे अकेले फसल का भाग ही उठायेंगे। विवादित आराजी को किसी बदमाश व्यक्ति का रहन, बय कर देंगे। जिससे विवादित आराजी से कुम्हार आदि पास समाप्त हो जायेगा। वादी को बटवारे की कहने पर इन्कारी हो गये। तब वादी द्वारा विवादित आराजी मे अपने हिस्से की रक्षा हेतु यह बटवारे का एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के लिए यह वाद न्यायालय मे प्रस्तुत किया। दावा के अन्त मे दावा डिक्री करने एवं खर्चा मुकदमा प्रदान करने के आदेश दिये जाने बाबत निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2,3,4 न्यायालय मे बावजूद तामील हाजिर नहि आये अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 अपने अभिभावक के साथ न्यायालय मे हाजिर आये तथा अपना जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया अपने जवाब दावा मे उनके द्वारा वादपत्र के कथनो को सामान्य रूप से इन्कार करते हुए कथन किया है कि विवादित आराजी मे नारायनी बेवा नत्थीलाल, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 हिस्सा बराबर के खातेदार कृषक थे अर्थात प्रत्येक का हिस्सा 1/4 - 1/4 था। नारायनी प्रतिवादी सं 2 व 3 की माँ थी। जिनका निधन हो गया है उसका हिस्सा उसके पुत्रो का प्राप्त हुआ। समस्त विवादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादी सं 2 का 1/4 भाग था तथा अपने हिस्से पर वह संयुक्त रूप से काबिज था। उसने अपना 1/4 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25-5-99 को उत्तरदाता सोमाराम के पक्ष मे विक्रय कर कब्जा प्रदान कर दिया। जिससे उसी दिन से वह प्रतिवादी संख्या 2 हरिओम के हिस्से पर, नारायनी, वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के साथ संयुक्त खातेदार हो गया। हरिओम का हिस्सा समाप्त हो गया। मूल विक्रय पत्र सब रजिस्ट्रार के यहां से प्राप्त कर दाखिल हेतु पटवारी को दिया व बाद मे जब पटवारी से बयनामा बाबत कहा तो उसने कहा कि मैंने मुताबिक बयनामा दाखिल कर दिया है। मूल बयनामा हस्तगत वापिस दे

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः 3

दूँगा। मैंने विश्वास कर लिया। मुझे बाद में राजस्व रिकार्ड देखने की आवश्यकता न हुई। नाराजगी का देहान्त हो जाने के पश्चात उसका 1/4 भाग उसके पुत्र गणेश 2 व 3 पर प्रभावी हुआ, जिससे विवादित आराजी में वादी व प्रतिवादीगण 3 पृथक पृथक 1/3 1/3 भाग के तथा वह 1/4 भाग का एव प्रतिवादी सं 2 - 1/12 के खातेदार एव आधिपत्यधारी हुए। तब से वह मौके पर इसी अनुसार काबिज काश्त करता आ रहा है। इनामी खे न 4859 मुक 3 स्वरुपा को देखा तथा उत्तर द्वारा ... उक्त विवादित आराजी में संयुक्त रूप से रखा गया इसी अनुसार काबिज रहा/ कभी विवाद नहीं हुआ। इस प्रकरण सम्बन्धी सम्मन प्राप्त होने पर उसने वादपत्र देखा एव राजस्व रिकार्ड प्राप्त कर देखा तो उसे पता चला कि उसका नाम वि. आराजी ख.नं. 4858 नहीं है पटवारी हल्का में वादी जो कि एक अभिभावक है तथा प्रति सं. 3 जो कि पटवारी है से साजिश कर गलत नामान्तरण करा दिया। व बयनामा दिनांक 24-5-99 के आधार पर जो दाखिल खारिज न 1682 किया गया उसमे जानबूझकर खसरा नम्बर 4858 रकबा 13 बिस्वा को शामिल नहीं किया है तथा इसी साजिश वश मूल बयनामा मुझे वापस नहीं किया गया है। जरिये काउन्टर क्लेम ख.न. 4858 में अपना हिस्सा 1/4 भाग शामिल करा पाने का अधिकारी है। उक्त त्रुटिपूर्ण नामान्तरण से वादी एव प्रति सं 3 कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं अन्त में निवेदन किया है कि काउन्टर क्लेम प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर ख.न 4858 में प्रतिवादी नं. 2 व 3 को 1/4 भाग का खातेदार पृथक शामिल किया जावे, तथा ख.न 4859 रकबा 9 बिस्वा पर उनका आधिपत्य दिलाया जावे तथा भूमि का बंटवारा कराया जाकर पृथक पृथक खाता कायम किया जावे।

जवाब एव काउन्टर क्लेम के जवाबुल जवाब में वादी द्वारा काउन्टर क्लेम एव जवाब के कथनों को सामान्य रूप से इन्कार किया है तथा बयनामा को जाली एव फर्जी बताया है तथा कहीं भी बयनामा पेश करना नहीं बताया है। तथा नामान्तरण के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं करने की बात कहकर उक्त काउन्टर क्लेम खारिज करने बाबत निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः - 4

प्रकरण मे तदुपरान्त निम्नानुसार तनकीयात आयद कीगयी

(1) आया कि वादी वाद ग्रस्त आराजी ख.नं. 4859, 4858 मे 1/3 भाग का खातेदार है। जिसे बटवारा कराने का अधिकारी है एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।
--- वादी

(2) आया कि वाद ग्रस्त आराजी ख.नं. 4858 मे से 1/4 भाग वादी व प्रतिवादी सं 2 व 3 की माँ नारायनी देवी के द्वारा विवादित बयनामा से प्रतिवादी सं 1 पर हस्तान्तरित हुआ है एवं इससे वह 1/4 भाग का खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है। --- प्रतिवादी सं.1

3- आया प्रतिवादी सं 1 ख.नं 4859 पर स्वत्व काबिज है
--- प्रतिवादी सं.1

4- अनुतोष।

साक्ष्य वादी मे दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी आधार वर्ष-2005 पेश की है तथा मौखिक साक्ष्य में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहि की गयी।

साक्ष्य प्रतिवादी संख्या-1 मे दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल प्रमाणित प्रति बयनामा द्वारा उप पंजीयक बसेडी दिनांक 24-5-99 प्रदर्श-1, नकल जमाबन्दी सं. 2054-57 प्रदर्श-2, नकल नामान्तरकरण संख्या 1687 प्रदर्श 3 एव नकल प्रमाणित जमाबन्दी सं. 2058-61 प्रदर्श 4 पेश किये है मौखिक साक्ष्य मे बयान सोमाराम D.W.1 एव बयान जगदीश प्रसाद D.W.2 कराये है।

बहस विद्वान अभिभाषक गण उभयपक्ष सुनी गयी

वकील वादी द्वारा अपनी बहस मे वाद पत्र के समस्त कथनो को दोहराया तथा जवाबुल जवाब के समस्त कथनो का दोहराते हुए कथन किया कि वादी विवादित आराजी मे 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार है इसलिए विवादित आराजी का वादी मौके पर वाजब्द बटवारा किया जावे। प्रतिवादी सं 1 इस बटाव मे स्वत्व घोषणा/का

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः-5

काउन्टर क्लेम लगाई है जब कि यह दावा बटवारे का है इसमें स्वत्व घोषणा का काउन्टर क्लेम नहीं लाया जा सकता है। प्रतिवादी सं-1 को पृथक दावा लाना चाहिये था। इसलिए काउन्टर क्लेम खारिज किया जाकर दावा डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादी सं-1 द्वारा अपने जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम के सभी कथनों को अपनी बहस में दोहराया तथा कथन किया कि वादी द्वारा दावा जिस रिकार्ड के आधार पर प्रस्तुत किया है वह गलत है क्योंकि वादी एवं प्रतिवादी स 3 ने आपस में शामिल करके हरीराम द्वारा प्रतिवादी सं-1 के पक्ष में किये गये बयनामा दिनांक 25/5/99 कागजात रिकार्ड में दाखिल कराते समय ख न. 4858 का नामान्तरण प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में नहीं होने दिया है जब कि बयनामा में ख न 4858 भी जिक्र हुआ है। इसलिए इस नम्बर पर भी उसे 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं तदुपरान्त ही आराजी का बटवारा किया जावे। वहस के अन्त में काउन्टर क्लेम डिक्री करने बाबत निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया तथा वहस अभिभाषकगण उभय पक्ष पर मनन किया तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से है।-

<u>तनकी नम्बर-1</u> इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा इस तनकी को साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी आधार वर्ष 2005 पेश की है अन्य कोई रिकार्ड एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। नकल जमाबन्दी से यह तो साबित हो जाता है कि विवादित आराजी में ख न 4857 एवं 4859 में उसका हिस्सा 1/3 एवं ख न 4858 में भी उसका हिस्सा 1/3 ही दर्ज है। कोई भी मौखिक साक्ष्य नहीं कराई है इसलिए वादी का विवादित आराजी पर कब्जा स्पष्ट नहीं होता है इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या द्वारा प्रस्तुत बयनामा तारीख 25-5-99 एवं नकल नामान्तरकरण 1687 एवं नकल जमाबन्दी सं 2054-57 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बयनामा जो कि हरीराम प्रतिवादी सं-2 द्वारा रामाराम प्रतिवादी संख्या-1 के हक में

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा (जालपुर)

क्रमशः 6

दिनांक 2-5-99 को किया गया है उसमें विवादित आराजी ख० नं० 4857, 4858, एव 4859 तीनो नम्बरो में से 1/5 हिस्सा बेचा गया है जब कि उसका नामान्तरकरण खोलते समय ख० नं० 4859 को छोड़ दिया गया है। यह बात एक लिपिकीय त्रुटि है अथवा जानबूझ कर साबित करके ऐसा किया गया है। इसका शुद्ध होना आवश्यक है। बिना इसके शुद्ध हुए बटवारा किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एव वाद के आधार में प्रस्तुत रिकार्ड नकल जमाबन्दी त्रुटि पूर्ण है। इसलिए यह तनकी विरुद्ध वादी तय की जाती है।

तनकी नम्बर-2 :- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर है। इस तनकी को साबित करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रदर्श D1 से D4 दस्तावेज पेश किये है तथा बयान PW1 व PW2 करवायें है। काउन्टर क्लेम में वर्णित बयनामा 2-5-99 को हो गया था तथा उसका नामान्तरकरण भी 29-6-99 को खुल गया था। प्रतिवादी सं० 1 को नामान्तरकरण की गलती के लिए उसी समय अपील नामान्तरकरण प्रस्तुत करनी चाहिये थी जो उसने पेश नहीं की। वह उसे स्वत्व घोषणा के लिए पृथक दावा लाना चाहिये था। यह दावा बटवारे का है इस दावे में स्वत्व घोषणा का काउन्टर क्लेम नहीं चल सकता है। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में इसबाबत तर्क भी किया है। वकील प्रतिवादी द्वारा इसबाबत कोई कानून पेश नहीं किया है। इसलिए बटवारे के इस दावे में हम स्वत्व घोषणा का काउन्टर क्लेम स्वीकार करना न्यायोचित नहीं समझते है। इसलिए यह तनकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 तय की जाती है।

तनकी नम्बर-3 :- इस तनकी को साबित करने का भार भी प्रतिवादी संख्या 1 पर है। तनकी नम्बर 2 के विवेचन प्रतिवादी संख्या इस तनकी को साबित करने असफल रहे है। अतः यह तनकी

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 तय की जाती है।

अनुतोष :- उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर हम दावा वादी व काउन्टरक्लेम प्रतिवादी खारिज किए जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी त्रुटिपूर्ण इन्द्राज पर आधारित होने के कारण खारिज किया जाता है। प्रतिवादी संख्या-1 का काउन्टरक्लेम भी इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि वह स्वत्व घोषणा का पृथक दावा लाने हेतु स्वतन्त्र है। वादी भी नया दावा पेश कर सकता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 5/12/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्तोष कुमार गोयल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)
राजाखेड़ा।